जिससे वहां के लोगों को आने-जाने तथा अपनी उपज को सही ठिकाने पर ले जाने में सुविधा हो। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भी रेल मंत्रालय को कई बार लिखा है कि इस नैरोगेज लाइन को ब्राडगेज में जल्दी से जल्दी बदला जाये और एक रेलगाड़ी को अहमदाबाद से वाया बड़ौदा, प्रतापनगर, दभोई छोटा उदयपुर से इन्दौर, मध्यप्रदेश मंडी तक चलाया जाये जिससे यहां की जनता को लाभ होगा।

(ii) Coustruction of Dams Over Lohit and Dihang Tributaries of Brahmputra River to control floods

SHRI BISHNU PRASAD (Kaliabor): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with your permissson, I am raising a matter of great importance which has been causing untold hardship to the people of Assam.

Brahmputra river is one of the mightiest rivers of our country traversing entire Assam from Lakhimpur to Dhubri. It is the life line of Assam but during monsoon in turns into a river of sorrow. Every year, its flood waters ravage the entire valley damaging crops worth more than Rs. 10 crores leaving untold misery in its wake.

Though the Brahamputra Flood Control Board has been constituted by an Act of Parliament, its working has been very slow due to paucity of funds. There is a great need to construct dams to harness the Brahmputra river to bring prosperity to the people of Assam.

The Government of Assam has spent nearly Rs. 10 crores on Survey and civil construction of two dams at Dihang and Subhansiri, but due to financial limitations the work of these projects is not progressing fast. If these two dams are completed, they will not only check the floods but also feed electricity to the entire Northern India.

I would, therefore, request the Government of India to make the Brahmputra Flood Control Board more responsive to the problems and needs of the people of Assam and direct them to further take up survey work of Lohit, Kameng and Dihang, the turbulent tributaries of the Brahmputra in Assam, for the construction of dams so that the flood menas could be minimised and an era of peace and prosperity ushered in.

(iii) Need to enhance pension amount of Ex-M.Ps. and M. L. As.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व संसद्-सदस्यों को रेल में निःशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं है। राजनैतिक जीवन में संसद्-सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व निभाने के पश्चात् भी जनता के हितों में सांसद न रह जाने पर भी उन्हें देश के विभिन्न भागों में जाना-आना पड़ता है, जो स्वाभाविक है। इस समय निःशुल्क यात्रा का प्रावधान न होने के कारण उन्हें कठिनाई होती है। इसी प्रकार यदि कोई सांसद् किसी राज्य विधान सभा का सदस्य रहा हो और सांसद् के रूप में चुने जाने से पहले उसे विधायक के रूप में पेंशन मिल रही हो, तो सांसद् बनने पर उसकी वह पेंशन बन्द हो जाती है तथा वह सांसद् न रहने पर केवल एक ही स्थान की पेंशन का अधिकारी है। विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य दूसरे प्रकार के हैं तथा सांसद के रूप में दूसरे प्रकार के। अतः दोनों पदों पर न रहने पर प्रत्येक को दोनों पेंशन मिलनी चाहिए। मंहगाई प्रति-वर्ष बढ़ने के कारण यह भी आवश्यक है कि भूतपूर्व सांसदों को 300 रुपए के स्थान पर 500 रुपए तथा 500 रुपए के स्थान पर 750 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया जाए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।